भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 22
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान

***22. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः**
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और मौसम की चरम स्थिति के कारण फसलों को बड़े पैमाने पर हुए नुकसान से अवगत है, यदि हाँ, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हाँ, तो सबसे अधिक प्रभावित फसलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित किसानों को समय पर राहत प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र तथा संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित राज्यवार उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने विशेषकर उपरोक्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में बेमौसम बारिश से प्रभावित हुए किसानों को कोई वित्तीय सहायता या मुआवजा संवितरित किया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो लाभार्थियों की संख्या कितनी है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कितनी धनराशि जारी की गई है तथा उक्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

“बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान” के संबंध में दिनांक 22/07/2025 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 22 के भाग (क) से (ङ) तक के संबंध में विवरण।

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) के अनुसार, क्षति आकलन और ग्राउंड लेवल पर राहत उपाय प्रदान करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें, भारत सरकार की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। तथापि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर किया गया आकलन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता क्षतिपूर्ति के रूप में न होकर राहत के रूप में प्रदान की जाती है।

राज्यों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी किये गए फंड का विवरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की वेबसाइट ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान मानसून सीजन 2025 (दिनांक 14.07.2025 तक) के दौरान, ओलावृष्टि/मूसलाधार बारिश/बाढ़ के कारण प्रभावित फसल क्षेत्र का विवरण **अनुबंध क** में दिया गया है। प्रभावित फसलों में धान, गेहूँ, जौ, सरसों, ज्वार, बाजरा, मक्का, प्याज और बागवानी फसलें शामिल हैं।

(घ) और (ङ) : उत्तराखंड में, एसडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार, 4774.65 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसकी क्षति राशि 699.72 लाख रुपये है। ओडिशा द्वारा एसडीआरएफ से किसानों को 15.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

दिनांक 30.06.2025 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत जारी फंड के साथ लाभार्थियों की संख्या का विवरण **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

अनुबंध क

मानसून सीजन 2025 (14.07.2025 तक) के दौरान ओलावृष्टि/भारी वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र का विवरण

मानसून सीजन -2025 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र का विवरण (दिनांक 01.04.2025 से 14.07.2025 तक)		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रभावित फसल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	1706.667
2.	असम	35024
3.	कर्नाटक	18093
4.	महाराष्ट्र	91429
5.	मणिपुर	439.776
6.	मेघालय	6372.302
7.	नागालैंड	11
8.	ओडिशा	753
9.	सिक्किम	5.662
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1239.09
11.	दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	शून्य
12.	उत्तराखंड	8.468
13.	पंजाब	3569.11236
कुल		**158651.077**

स्रोत: गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार

अनुबंध-ख

दिनांक 30.06.2025 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत जारी फंड के साथ लाभार्थियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमित किसानों के आवेदन (लाख)	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	भुगतान किए गए दावे	किसान आवेदनों का भुगतान किया गया दावा (लाख)
	कुल		करोड़ रुपये में	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.0	0.0	0.3	0.0
आंध्र प्रदेश	435.7	194.7	5,395.8	66.1
असम	62.9	37.4	650.3	9.9
बिहार	52.3	48.3	811.1	4.7
छत्तीसगढ	435.4	212.1	7,498.6	111.5
गोवा	0.0	0.0	0.1	0.0
गुजरात	83.9	112.3	5,613.3	29.3
हरियाणा	388.3	151.9	8,907.4	76.5
हिमाचल प्रदेश	26.2	342.6	595.5	11.3
जम्मू एवं कश्मीर	9.5	5.5	153.9	2.7
झारखंड	71.7	33.2	857.3	9.0
कर्नाटक	223.6	190.9	16,982.7	122.9
केरल	9.6	5.0	629.9	4.9
मध्य प्रदेश	1,013.7	1,001.0	30,248.5	305.4
महाराष्ट्र	1,306.7	796.7	43,339.5	618.0
मणिपुर	0.4	0.4	8.8	0.2
मेघालय	0.9	0.3	24.1	0.3
ओडिशा	654.7	124.3	7,141.5	111.9
पुदुचेरी	1.9	0.7	16.5	0.4
राजस्थान	1,941.5	914.3	29,034.8	486.2
सिक्किम	0.1	0.0	0.2	0.0

तमिलनाडु	381.1	129.4	15,235.3	174.4
तेलंगाना	39.0	40.1	1,906.4	12.2
त्रिपुरा	14.0	2.6	12.2	1.3
उत्तर प्रदेश	529.3	337.6	5,718.6	92.9
उत्तराखंड	20.0	232.3	1,208.4	10.0
पश्चिम बंगाल	138.2	57.9	1,268.0	19.5
सकल योग	**7,840.7**	**4,971.9**	**1,83,258.9**	**2,281.5**

*****